

भारतीय प्रिंट मीडिया में भाषा की चुनौतियों एवं मीडिया के संवैधानिक अधिकारों पर अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षा शास्त्रविभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

शोध सार

भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जो प्रमुख विज्ञापनदाताओं को तेजी से आकर्षित कर रहे हैं। अधिकांश क्षेत्रों में, तीव्र प्रतिद्वंद्विता विकसित हुई है क्योंकि समाचार पत्र प्रसार और विज्ञापन में वृद्धि के लिए एक प्रतियोगिता में नई तकनीक और पत्रकारिता की समय-सम्मानित तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक संस्था के रूप में मीडिया विविधता के अभाव में चरमराने लगता है। लोकतंत्र के प्रसिद्ध चौथे स्तंभ के रूप में सेवा करने के बजाय, यह परिधि पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों का मंच बन जाता है। कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए न्यूज़रूम को विविधता के इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

मुख्य शब्द - सामाजिक कार्यकर्ता, प्रिंट मीडिया, विज्ञापन, लोकतंत्र, तकनीक।

शोध प्रविधि- सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन।

शोध उद्देश्य- 1. प्रिंट मीडिया में भाषा की चुनौतियों का अध्ययन करना।

2. प्रिंट मीडिया के संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन करना।

प्रस्तावना

भारतीय मीडिया में महिलाओं के नेटवर्क द्वारा हाल के वर्षों में समाचार चैनलों द्वारा प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व पर बहुत सारे अध्ययन और सर्वेक्षण किए गए हैं। वे एक सीधे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं: ऊंची जाति के पुरुषों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व है, जबकि महिलाओं और निचली जातियों का प्रतिनिधित्व कम है। भारतीय मीडिया में महिलाओं के नेटवर्क द्वारा किए गए शोध के अनुसार, 28 स्टेशनों और 11 भाषाओं में प्राइम-टाइम न्यूज़ डिबेट में पैनलिस्टों में महिलाओं की संख्या केवल 13.7 प्रतिशत थी। भारतीय मीडिया में मास मीडिया के कई अलग-अलग प्रकार के संचार होते हैं: टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इंटरनेट-आधारित वेबसाइट/पोर्टल। 18वीं शताब्दी के अंत से भारतीय मीडिया सक्रिय था। प्रिंट मीडिया भारत में 1780 की शुरुआत में शुरू हुआ। रेडियो प्रसारण 1927 में शुरू हुआ। भारतीय मीडिया दुनिया के सबसे पुराने मीडिया में से एक है।

यह अशोक के शासनकाल से भी पहले का है। आज कई मीडिया बड़े, निगमों द्वारा नियंत्रित हैं, जो विज्ञापन, सदस्यता और कॉपीराइट सामग्री की बिक्री से राजस्व प्राप्त करते हैं।

भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया खुद को विनियमित करने के लिए प्रेस के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय प्रेस स्वतंत्र और जिम्मेदार है। यदि प्रेस को सार्वजनिक हित के प्रहरी के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करना है, तो उसे अभिव्यक्ति की सुरक्षित स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी प्राधिकरण, संगठित निकायों या व्यक्तियों द्वारा अबाधित और अबाधित। यह सुनिश्चित करता है कि प्रेस को पत्रकारिता नैतिकता के स्वीकृत मानदंडों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और पेशेवर आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। जहां मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है और अव्यवसायिक आचरण द्वारा स्वतंत्रता को दूषित किया जाता है, वहां इसे जांचने और नियंत्रित करने का एक तरीका मौजूद होना चाहिए। लेकिन सरकार या आधिकारिक अधिकारियों द्वारा नियंत्रण इस स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि पेशे के साथियों को, कुछ समझदार आम लोगों की सहायता से, उचित रूप से संरचित, प्रतिनिधि और निष्पक्ष मशीनरी के माध्यम से इसे विनियमित करने दें। इसलिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।

मुंबई से प्रकाशित द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक भारतीय संस्थान है, जिसे स्वतंत्र छात्रवृत्ति और आलोचनात्मक जांच में उत्कृष्टता के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त है। पहली बार 1949 में इकोनॉमिक वीकली के रूप में और 1966 से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के रूप में प्रकाशित, ईपीडब्ल्यू, जैसा कि जर्नल लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, स्वतंत्र भारत के बौद्धिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। पाँच दशकों से भी अधिक समय से ईपीडब्ल्यू एक अनूठा मंच बना हुआ है जो सप्ताह दर सप्ताह शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, स्वतंत्र विचारकों, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, संस्कृति, पर्यावरण पर बहस के लिए एक साथ लाया है।

IRS Q1 2019 के अनुसार, पाठकों की संख्या के संदर्भ में, दैनिक जागरण 70,377,000 की कुल पाठक संख्या (TR) के साथ सबसे लोकप्रिय हिंदी दैनिक है। दैनिक भास्कर 51,405,000 की कुल पाठक संख्या के साथ दूसरा सबसे लोकप्रिय है। अमर उजाला 47,645,000 टीआर के साथ, राजस्थान पत्रिका 18,036,000 टीआर के साथ और प्रभात खबर 14,102,000 टीआर के साथ अगले तीन स्थानों पर है। शीर्ष 10 हिंदी दैनिकों की कुल पाठक संख्या 188.68 मिलियन होने का अनुमान है, जो शीर्ष 10 अंग्रेजी दैनिकों की तुलना में लगभग पांच गुना है, जिनकी कुल पाठक संख्या 38.76 मिलियन है।

अंग्रेजी समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1838 में बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा द बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में की गई थी, जो अब एक भारतीय समूह के स्वामित्व वाला एक औपनिवेशिक उद्यम है ; द टाइम्स ग्रुप । हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना 1924 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन (' हिंदुस्तान ' भारत का ऐतिहासिक नाम है) के दौरान हुई थी, यह एचटी मीडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है । द हिंदू की स्थापना 1878 में एक समूह द्वारा की गई थी जिसे ट्रिपलीकेन सिक्स के नाम से जाना जाता है जिसमें मद्रास (अबचेन्नई), अब इसका स्वामित्व द हिंदू ग्रुप के पास है ।

श्री अरुण जेटली-प्रिंट मीडिया को डिजिटल युग पत्रिका द्वारा पेश की गई चुनौतियों को स्वीकार करने की जरूरत है, पत्रकारिता को खुद को फिर से बदलने की जरूरत है।

प्रिंट मीडिया पर 59वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की सूचना और प्रसारण, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्रिंट मीडिया को डिजिटल और सूचना युग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इंटरनेट क्रांति और तेजी से बदलती तकनीक ने दुनिया भर में प्रिंट मीडिया के लिए अपनी उपस्थिति और निरंतर विकास को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। हालाँकि, भारत एक अपवाद बना रहा जिसमें प्रिंट मीडिया ने क्षेत्रीय समाचार पत्रों के लिए बढ़ती मांग और ग्राहक आधार के कारण वृद्धि दर्ज की।

मंत्री ने आज यहां प्रिंट मीडिया पर 59वीं वार्षिक रिपोर्ट- "भारत में प्रेस 2014-15" जारी करते हुए यह बात कही। इसे भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा तैयार और संकलित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी उपस्थित थे।

श्री जेटली ने कहा कि प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित सूचना प्रवाह के साथ संघर्ष करना पड़ा, जिसने समाचार और राय के बीच विभाजन रेखा को कमजोर कर दिया। उभरते हुए दृष्टिकोण ने बहसों और चर्चाओं में एक निश्चित तीखापन ला दिया था। इस प्रकार, प्रिंट मीडिया को निष्पक्षता बनाए रखने और समाचारों की पवित्र प्रकृति को बनाए रखने में भूमिका निभानी थी। यह समझना भी महत्वपूर्ण था कि उभरते हुए दृष्टिकोण मीडिया जगत की विशालता के कारण सामने आए जहां किसी दिए गए मुद्दे पर अलग-अलग दृष्टिकोण सामने रखे गए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि पत्रिका पत्रकारिता के लिए खुद को फिर से शुरू करने का समय आ गया है क्योंकि डिजिटल और सोशल मीडिया जैसे विकल्पों के कारण पाठकों के लिए विकल्प बढ़ रहे हैं। श्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि दुनिया भर के रुझान बताते हैं कि कई लोकप्रिय पत्रिकाएं ऑनलाइन डिजिटल संस्करण में स्थानांतरित हो गई हैं, क्योंकि यह तेजी से बदलती दुनिया, समाचार और प्रौद्योगिकी के साथ तात्कालिक समाचारों का समय है। इसलिए, पत्रिकाओं में समाचारों को समेटे जाने की शेल्फ लाइफ को पुराना माना जाता था।

श्री जे.एस. माथुर ने अपने संबोधन में प्रकाशन का अवलोकन किया और इतिहास के माध्यम से प्रेस की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया क्षेत्र, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया में लाए जा रहे बदलावों पर भी बात की।

वार्षिक रिपोर्ट "प्रेस इन इंडिया- 2014-15" पंजीकृत प्रकाशनों द्वारा दायर वार्षिक विवरणों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई थी। पंजीकृत प्रकाशनों को प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत संचलन के आंकड़ों सहित विवरण देते हुए वार्षिक विवरण दाखिल करना आवश्यक था। रिपोर्ट ने दावा किए गए प्रसार के आधार पर भारतीय प्रेस की सामान्य प्रवृत्ति का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया। प्रिंट मीडिया ने पिछले वर्ष की तुलना में 5.80% की वृद्धि दर्ज की, क्योंकि 2014-15 के दौरान कुल 5,817 नए प्रकाशन पंजीकृत किए गए और 34 प्रकाशनों ने अपना संचालन बंद कर दिया। 31 मार्च, 2015 को पंजीकृत कुल 1,05,443 प्रकाशनों में से, किसी भी भारतीय भाषा में पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सबसे बड़ी संख्या 42,493 प्रकाशनों के साथ हिंदी में थी, जिसके बाद अंग्रेजी में 13,661 पंजीकृत प्रकाशन थे। 1,05,443 पंजीकृत प्रकाशनों में से 14,984 दैनिक और द्वि-त्रि साप्ताहिक थे और शेष 90,459 अन्य आवधिकता वाले थे। राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि 2014-15 के अंत में 16,130 प्रकाशनों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर था। 14,394 प्रकाशनों के साथ महाराष्ट्र और 12,177 प्रकाशनों के साथ दिल्ली दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2013-14 में प्रति प्रकाशन दिवस 45, 05, 86,212 प्रतियों की तुलना में 2014-15 में प्रकाशनों का कुल दावाकृत प्रसार 51, 05, 21,445 था। वर्ष 2014-15 के लिए आरएनआई में प्राप्त वार्षिक विवरणों की संख्या 2013-14 में 19,755 की तुलना में 23,394 थी, जिसमें 18.42% की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, संचलन-वार, हिंदी प्रकाशन प्रति प्रकाशन दिवस 25,77,61,985 प्रतियों के साथ अग्रणी रहा, इसके बाद अंग्रेजी 6,26,62,670 प्रतियों के साथ और उर्दू 4,12,73,949 प्रतियों के साथ प्रति प्रकाशन दिवस पर रहा।

2014-15 में भारतीय प्रेस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1	पंजीकृत प्रकाशनों की कुल संख्या	:	1,05,443
	i) समाचार पत्र श्रेणी (दैनिक, त्रि/द्वि साप्ताहिक आवधिकता)	:	14,984
	ii) पत्रिकाओं की श्रेणी (अन्य आवधिकताएं)	:	90,459
2	2014-15 के दौरान पंजीकृत नए प्रकाशनों की संख्या	:	5,817
3	2014-15 के दौरान प्रकाशनों की संख्या बंद हो गई	:	34
4	पिछले वर्ष की तुलना में कुल पंजीकृत प्रकाशनों की वृद्धि का प्रतिशत	:	5.80%
5	किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में पंजीकृत प्रकाशनों की सबसे बड़ी संख्या	:	42,493
6	हिंदी (अंग्रेजी) के अलावा किसी भी भाषा में पंजीकृत प्रकाशनों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या	:	13,661
7	सर्वाधिक पंजीकृत प्रकाशनों वाला राज्य (उत्तर प्रदेश)	:	16,130
8	पंजीकृत प्रकाशनों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला राज्य (महाराष्ट्र)	:	14,394
9	वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले प्रकाशनों की संख्या (इस आंकड़े में 607 विविध प्रकाशन शामिल हैं)	:	23,394
10	2014-15 के दौरान प्रकाशनों का कुल दावाकृत प्रसार	:	51,05,21,445
	i) हिंदी प्रकाशन	:	25,77,61,985
	ii) अंग्रेजी प्रकाशन	:	6,26,62,670
	iii) उर्दू प्रकाशन	:	4,12,73,949
11	किसी भी भारतीय भाषा (हिंदी) में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले प्रकाशनों की सबसे बड़ी संख्या।	:	12,516
12	किसी भी भाषा (अंग्रेजी) में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने वाले प्रकाशनों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या	:	2,219
13	सबसे अधिक परिचालित दैनिक: "आनंद बाजार पत्रिका", बंगाली, कोलकाता।	:	11,78,779
14	दूसरा सबसे बड़ा परिचालित दैनिक: "हिंदुस्तान टाइम्स" अंग्रेजी, दिल्ली।	:	10,18,367
15	सबसे अधिक प्रसारित हिंदी दैनिक: "पंजाब केसरी", जालंधर	:	7,42,190
16	सबसे अधिक परिचालित बहु-संस्करण दैनिक: "द टाइम्स ऑफ इंडिया", अंग्रेजी, (33 संस्करण)	:	46,30,200
17	दूसरा सबसे बड़ा परिचालित बहु-संस्करण दैनिक: "दैनिक भास्कर", हिंदी, (34 संस्करण)	:	36,94,385
18	सबसे अधिक परिचालित पत्रिका: "द संडे टाइम्स ऑफ इंडिया", अंग्रेजी/साप्ताहिक संस्करण, दिल्ली।	:	8,85,201
19	हिंदी में सबसे अधिक प्रसारित पत्रिका: "संडे नवभारत टाइम्स", हिंदी/साप्ताहिक संस्करण, मुंबई	:	7,04,257
20	i) कुल शीर्षक आवेदन प्राप्त हुए	:	20,217
	ii) शीर्षक स्वीकृत	:	13,492
	iii) टाइटल डीब्लॉक किए गए	:	7,819

भारतीय मीडिया के महत्वपूर्ण कानून

मीडिया गतिविधियों को विनियमित करने और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ब्रिटिश काल से कुछ नियम बनाए गए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण कानून निम्नलिखित हैं-

- 1-पहला प्रेस विनियम, 1799;
- 2-गैंगिंग अधिनियम, 1857;
- 3-प्रेस एंड रेगुलेशंस ऑफ बुक्स एक्ट, 1867;
- 4-भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910;
- 5-वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878;
- 6-युवा व्यक्ति (हानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956;
- 7-संसदीय कार्यवाही अधिनियम, 1956;
- 8-भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965;
- 9-पुस्तकें और समाचार पत्र वितरण अधिनियम, 1954;
- 10-प्रसार भारती अधिनियम, 1990

भारतीय मीडिया के समक्ष चुनौतियाँ

पेड न्यूज

पेड न्यूज अनैतिक मीडिया कानून प्रथा है जहां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत प्रकाशित होने वाले लेख उन संस्थानों के पक्ष में होते हैं जिन्होंने इसके लिए भुगतान किया है। इसे बिना टैग वाला विज्ञापन माना जाता है। इसके अलावा, यह एक कदाचार है क्योंकि यह नागरिकों को मामले के वास्तविक तथ्यों से अवगत न कराकर उन्हें धोखा देता है। दूसरे, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले भुगतान के तरीके टैक्स और चुनाव खर्च कानूनों का उल्लंघन करते हैं। यह चुनाव के दौरान एक मुद्दा है क्योंकि मीडिया का मतदाताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

श्रीमती उमलेश यादव बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2013) के मामले में, चुनाव आयोग ने श्रीमती उमलेश यादव को अयोग्य घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधायक उमलेश यादव को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत तीन साल के लिए, अधिनियम की धारा 77 के तहत अपने खर्चों का सही लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद, वह मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ले गईं जिसने ईसीआई के निष्कर्षों की पुष्टि की और उन्हें कार्यालय चलाने से रोक दिया।

क्रॉस-मीडिया स्वामित्व

ऐसी स्थिति जिसमें एक एकल कॉर्पोरेट इकाई के पास कई प्रकार के मीडिया उद्यमों का स्वामित्व होता है, उसे क्रॉस-मीडिया स्वामित्व के रूप में जाना जाता है। प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों और ऑनलाइन मीडिया साइट्स क्रॉस-मीडिया स्वामित्व के प्रकार के उदाहरण हैं। हमारे देश में, मीडिया स्वामित्व के क्षेत्र में एकाधिकार का मीडिया की स्वतंत्रता की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस एकाधिकार की जनता द्वारा जांच नहीं की गई है और यह अनियमित भी है। एक हाथ से नियंत्रण और दोनों के स्वामित्व को रोकने के लिए कानून को प्रसारण और वितरण के बीच संतुलन बनाना चाहिए। इस एकाधिकार के साथ एक और समस्या एक दिए गए क्षेत्र में एक मीडिया इकाई में शक्ति की एकाग्रता है। इसके अलावा, काउंटर में प्रिंट, टेलीविजन या रेडियो के लिए कोई क्रॉस-मीडिया सीमा नहीं है।

सरकार के स्वामित्व वाले मीडिया के लिए विनियम

भारत में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के मीडिया संगठन हैं। सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, और अन्य, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे जिन मुद्दों को संभालते हैं, वे वाणिज्यिक मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर नहीं किए जाते हैं। सरकार के स्वामित्व वाला मीडिया सरकार की नीतियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में जनता की धारणा को बदलने के लिए एक निष्पक्ष फिल्टर के रूप में काम कर सकता है, साथ ही एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में समाचार आम जनता तक पहुँचाया जाता है।

दूसरी ओर, सरकार के स्वामित्व वाले मीडिया को सरकार से पर्याप्त रूप से स्वतंत्र नहीं माना जाता है। नतीजतन, उनके द्वारा उत्पादित सरकार समर्थक कहानियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सकता है, खासकर यदि वे केवल उनकी प्रभावकारिता का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बजाय आधिकारिक गतिविधियों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा, निजी मीडिया की तुलना में, ऐसे सरकारी मीडिया की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकार के साथ इसके संबंधों सहित प्रसार भारती के संस्थागत ढाँचे का आकलन करने के लिए जनवरी 2013 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 24 जनवरी 2014 को, विशेषज्ञ समिति ने अपनी

रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रसार भारती को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से सरकार से स्वतंत्र बनाने के प्रस्ताव शामिल थे।

मीडिया और व्यक्तिगत गोपनीयता

मीडिया के विकास से निस्संदेह किसी व्यक्ति की निजता में कमी आई है। हालांकि निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, (2017) में निष्कर्ष निकाला कि यह एक मूल अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न पहलू है। हालांकि भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस को आवश्यक सार्वजनिक हित के तथ्यों को प्रकट करने की अनुमति देती है, यह अक्सर निजता के आक्रमण की ओर ले जाती है। नीरा राडिया टेप के उदाहरण में निजता के अधिकार की पुष्टि की गई है।

मीडिया द्वारा परीक्षण और अभियुक्त का अधिकार

जब एक महत्वपूर्ण मुद्दा अदालत के सामने लाया जाता है, तो जनता के बीच रुचि में अपेक्षित वृद्धि होती है। हमेशा रोमांचक समाचारों की तलाश में, अखबारों, टेलीविजन स्टेशनों और समाचार वेबसाइटों सहित मीडिया, घटनाओं के अपने स्वयं के संस्करण पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसे खोजी पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। "मीडिया परीक्षण" या "मीडिया द्वारा परीक्षण" समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से किसी व्यक्ति पर मीडिया कवरेज के प्रभाव को संदर्भित करता है, इससे पहले कि कानून की अदालत अपना फैसला सुनाती है, निर्दोषता या अपराध की छाप विकसित होती है। कोर्ट ऑफ लॉ ट्रायल से पहले अभियुक्त या संदिग्ध का अत्यधिक मीडिया कवरेज या तो एक निष्पक्ष परीक्षण को बढ़ावा देता है या अभियुक्त या संदिग्ध को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है जिसने निर्विवाद रूप से अपराध किया है; यह "न्याय के प्रशासन" के साथ अनुचित हस्तक्षेप के बराबर है, मीडिया के खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना आवश्यक है। दुर्भाग्य से, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए पत्रकारिता और पत्रकारिता प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए स्थापित मानदंड अपर्याप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सैबल कुमार गुप्ता और अन्य में घोषित किया। वि. बी.के. सेन और अन्य, 1961, कि एक समाचार पत्र एक अपराध में घुसपैठ कर रहा है और एक स्वतंत्र जांच कर रहा है जिसके लिए अभियुक्त या संदिग्ध को पकड़ा गया है और फिर उस जांच के परिणाम प्रकाशित करना शरारतपूर्ण होगा। यह भ्रामक है क्योंकि जब देश के नियमित न्यायाधिकरणों में से एक परीक्षण कर रहा है, तो समाचार पत्रों द्वारा परीक्षण को गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। यह इस विश्वास पर स्थापित है कि एक समाचार पत्र की जांच न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालती है, भले ही जांच अभियुक्त या अभियोजन पक्ष के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो।

अभियुक्तों पर मीडिया का प्रभाव

यदि मीडिया ने अदालत में मुकदमे से पहले ही किसी संदिग्ध या अभियुक्त को दोषी के रूप में चित्रित कर दिया है, तो एक जोखिम है कि अभियुक्त गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है।

यहां तक कि अगर एक संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति को अदालत द्वारा उचित प्रक्रिया के बाद बरी कर दिया जाता है, तो भी बरी होना समाज में आरोपी की प्रतिष्ठा के पुनर्वास में फायदेमंद नहीं हो सकता है।

अतिशयोक्तिपूर्ण और अनुचित मीडिया कवरेज, प्रतिवादी को अपराधी के रूप में वर्णित करना, जबकि फैसला अभी भी लंबित है, "न्याय के प्रशासन" पर अनुचित प्रभाव के बराबर है, मीडिया के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अवमानना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य बनाम राजेंद्र जवानमल गांधी, 1997 के मामले में घोषित किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस या सार्वजनिक आंदोलन द्वारा एक परीक्षण कानून के शासन के विपरीत है और इसके परिणामस्वरूप न्याय की अवहेलना हो सकता है।

भारत के विधि आयोग की 200वीं रिपोर्ट, "मीडिया द्वारा परीक्षण: आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत स्वतंत्र भाषण और निष्पक्ष सुनवाई," अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और निष्पक्ष सुनवाई की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के कई पहलुओं पर विस्तार से बताती है।, जिसे अगस्त 2006 में न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में जारी किया गया था।

विविधता का अभाव

मीडिया में विविधता और सांस्कृतिक समावेश एक गर्म विषय है, और बहुत से लोग मानते हैं कि प्रतिनिधित्व सर्वकालिक उच्च स्तर पर है; बहरहाल, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, इससे पहले कि व्यक्तिगत मतभेदों को वास्तव में मीडिया में आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए और स्वीकार किया जाए।

जैसे ही मीडिया रंबल के लिए देश भर के पत्रकार नई दिल्ली में जुटे, 'हू टेलस अवर स्टोरीज मैटर्स: रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाशिए पर जाति समूहों का भारतीय न्यूजरूम' अभियान शुरू किया गया।

रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित सभी लेखों में दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी 5 फीसदी से भी कम है। लगभग 10% बाजार के साथ हिंदी समाचार पत्र थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

उच्च जातियों के लोग समाचार वेबसाइटों पर लगभग 72 प्रतिशत बायलाइन वाले टुकड़े लिखते हैं।

जांच के तहत 12 पत्रिकाओं के कवर पेजों पर 972 वस्तुओं में से केवल 10 जाति की चिंताओं के बारे में हैं।

समाचारों में विविधता की कमी चिंता का विषय है, क्योंकि यह समग्र समाचार गुणवत्ता में गिरावट में योगदान देता है। जब न्यूज़ रूम केवल कुछ समुदायों से बने होते हैं, तो वे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में असमर्थ होते हैं और ऐसा करने के लिए आवश्यक छंटाई मंच प्रदान करते हैं। न्यूज़लॉन्ड्री विश्लेषण के अनुसार, अध्ययन अवधि के दौरान।

प्रकाशनों में 972 कवर पीस में से केवल 10 ही जातिगत भेदभाव के बारे में थे।

प्रेस में विविध जाति प्रतिनिधित्व की कमी के कारण, इन चिंताओं पर थोड़ा ध्यान दिया गया। इस तरह के कम प्रतिनिधित्व से अल्पसंख्यक अलग-थलग पड़ जाते हैं और मीडिया में उनका भरोसा खत्म हो जाता है। जब लोग अलग-थलग महसूस करते हैं, तो राजनेता आसानी से मीडिया को रौंद सकते हैं, जैसा कि ट्रम्प ने अपने फेक न्यूज़ मीडिया बयानबाजी के साथ किया। समाचारों की राय की एक आयामी प्रकृति एक अन्य प्रमुख मुद्दा है जो समाचार चैनलों पर विविधता की कमी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। क्योंकि न्यूज़रूम में बड़े पैमाने पर उच्च जाति के पुरुषों का वर्चस्व है, निचली जातियों के बारे में रिपोर्टें व्यापक सामान्यीकरण में बोलने के बजाय कभी-कभी विषय की जटिलताओं की जांच करने में विफल हो जाती हैं। व्यक्तियों को सूचित करने और शिक्षित करने के बजाय, यह उन पर पुरातन आख्यानो और रूढ़ियों को थोपता है।

मानहानि

मानहानि पत्रकारिता में एक गंभीर समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है। फर्जी स्टिंग ऑपरेशन या मीडिया ट्रायल के मामले गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता के दावों को वैधता प्रदान करते हैं। मानहानि कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की धमकी, जिसमें दंडात्मक दंड शामिल हैं, का स्वतंत्र और स्वतंत्र समाचारों के प्रकाशन पर "चिंताजनक प्रभाव" पड़ता है, जिससे पत्रकारों और प्रकाशन गृहों पर अनुचित दबाव पड़ता है। भारत के मानहानि कानून में कोई भी परिवर्तन इन दो विचारों के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। सिविल मानहानि से वर्तमान में अपकृत्य कानून के तहत निपटा जाता है, जबकि आपराधिक मानहानि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत एक अपराध है।

जब मानहानि कानूनों की बात आती है तो भारत में पत्रकारों के लिए कोई विशेष दर्जा नहीं है।

प्रेस को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मानहानि को कला के तहत इस अधिकार के उचित प्रतिबंध के लिए एक औचित्य माना जाता है। 19(2) संविधान के पूर्व में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे संगठनों द्वारा पत्रकारों से संबंधित मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की जाती रही है।

प्रकाशन और न्यायालय की अवमानना

एक नैतिक मीडिया को जनता के भरोसे के साथ-साथ उस विश्वास और विश्वास को ध्यान में रखना चाहिए जिसके साथ आम आदमी / जनता आँख बंद करके प्रकाशित होने वाली खबरों की वास्तविकता को स्वीकार करती है। यह भरोसेमंद मीडिया के अस्तित्व की आवश्यकता है। किसी अपराध या उससे संबंधित किसी समाचार की रिपोर्टिंग करते समय, जिम्मेदार मीडिया को विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए:

इससे पहले कि मामला रिपोर्ट/प्रकाशित और सभी के द्वारा देखा जाए, मामले की सटीकता को बनाए रखा जाना चाहिए और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

कोई भी लेखन जो राय-आधारित है, यानी किसी व्यक्ति या पार्टी का पक्ष लेना या बदनाम करना, हर कीमत पर टाला जाना चाहिए।

निजता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए।

जब न्यायिक घटनाओं की रिपोर्टिंग की बात आती है, तो सटीकता महत्वपूर्ण होती है।

केवल संदेह या व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर रिपोर्ट प्रसारित करना मना है।

हिंसक कृत्य की सराहना से हमेशा बचना चाहिए।

शीर्षक को जानबूझकर सनसनीखेज या उत्तेजक नहीं बनाया जाना चाहिए; यह उसके नीचे मुद्रित सामग्री के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

त्रुटि की स्थिति में, यथाशीघ्र सुधार जारी किया जाना चाहिए।

नागरिक अवमानना

न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(बी) के अनुसार, नागरिक अवमानना जानबूझकर अदालत के फैसले या डिक्री की अवज्ञा या अदालत के उपक्रम के जानबूझकर उल्लंघन है।

परिभाषा के अनुसार, न्यायालय की नागरिक अवमानना करने के लिए दो आवश्यक हैं:

सबसे पहले, निर्णयों, आदेशों, रिटों, डिक्री, प्रत्यक्ष या किसी न्यायालय की किसी अन्य प्रक्रिया या न्यायालय को दिए गए वचन की कोई अवज्ञा।

दूसरे, अवज्ञा जानबूझकर, जानबूझकर और इरादतन होनी चाहिए।

अवमानना अदालत सहित किसी भी अदालत के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उस व्यक्ति के आचरण में गलती का निर्धारण करते समय मामूली विवरण या तकनीकी पर विचार करे, जिसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जा रही है। यदि आदेश का बड़े पैमाने पर पालन किया गया है और देरी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तो अवमानना का आरोप खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि उल्लंघन जानबूझकर और जानबूझकर नहीं किया गया था।

आपराधिक अवमानना

किसी भी मामले का प्रकाशन जो या तो अदालत के अधिकार को बदनाम करता है या कम करता है, या ऐसा मामला किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप या पूर्वाग्रह करता है, हस्तक्षेप करता है या किसी भी तरह से न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है, को धारा 2 (सी) के तहत आपराधिक अवमानना माना जाता है। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971।

सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए

नागरिकों को डेटा गोपनीयता उल्लंघन से बचाने के लिए विधायिका ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को अधिनियमित किया। यह अधिनियम साइबर अपराध के जोखिम को समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह इसे कम जरूर करता है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए में तीन साल के कारावास का प्रावधान है, यदि सोशल मीडिया टिप्पणी "झुंझलाहट" का कारण बनती है या इसे "घोर अपमानजनक" माना जाता है। **मार्च 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंहल मामले में फैसला सुनाया,** जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन ने की, कि प्रावधान अस्पष्ट था और मनमाने ढंग से तैयार किया गया था। भले ही इस धारा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया हो, लोग अभी भी उसी के तहत आरोपी हैं।

पीयूसीएल के अनुसार, आईटी अधिनियम की धारा 66ए के 745 मामले अभी भी सक्रिय हैं और भारत के 11 राज्यों में लंबित हैं। इस अधिनियम ने सोशल मीडिया पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कठिन बना दिया है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक राजनेता की आलोचना करने वाले कार्टून को पोस्ट करने के

लिए दो प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य घटना में महाराष्ट्र की दो युवा लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था, एक लोकप्रिय राजनेता की मृत्यु के कारण मुंबई के विनाशकारी बंद के बारे में एक फेसबुक स्टेटस लिखने के लिए, और दूसरी स्टेटस पोस्ट को 'लाइक' करने के लिए। वहीं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अक्सर जातीय और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए किया जाता रहा है, जैसे कि अगस्त 2012 में जब इंटरनेट पर झूठी अफवाहों के कारण दक्षिण भारत से उत्तर-पूर्वी प्रवासियों को निकाला गया था। इस तथ्य के बावजूद कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानक और विनियमन विधेयक, 2012 में एक मीडिया नियामक प्राधिकरण के निर्माण की सिफारिश की गई थी, इसे कभी पेश नहीं किया गया था। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत शिकायतों से निपटने के लिए वर्तमान अधिनियम के तहत सक्षम है, हालांकि, यह ज्यादातर धोखाधड़ी और हैकिंग के आरोपों तक सीमित है।

निष्कर्ष

समय की मांग है कि विनियमों को इस तरह से संशोधित किया जाए कि सभी खोए हुए आधारों और विफलताओं को प्रभावी ढंग से बहाल किया जा सके। कई बकाया विधेयकों के साथ-साथ अनुशासनों को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई अधिनियम) कानूनों में किन मुद्दों को संबोधित किया जाएगा और उन्हें कैसे कुशलता से लागू किया जाएगा, इसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। इसके अलावा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण प्रतिबंधों के बीच संतुलन होना चाहिए। प्रबंधन और अधिकारियों को पत्रकारों और पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे राजनीतिक, सरकारी या धनी प्रभावशाली लोगों और समूहों से प्रभावित हुए बिना समाचारों को कवर कर सकें। प्रेस परिषद को जाने-माने पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से विचारों को विकसित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पत्रकार नैतिक व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब सरकार को परिषद की सिफारिशों और मार्गदर्शन को कार्रवाई में लगाना बाकी है, जिसमें सिस्टम के सुधार में महत्वपूर्ण अंतर लाने की क्षमता है।

सन्दर्भ स्रोत

- <https://www.mondaq.com/india/libel-defamation/880758/defamation-on-social-media-what-can-you-do-about-it>
- http://www.rmlnl.ac.in/webj/devesh_article.pdf
- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/203650/10/10_chapter4.pdf
- <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-5441-current-challenges-of-indian-media-with-respect-to-media-law-and-ethics.html>



- <https://timesofindia.indiatimes.com/what-is-paid-news/articleshow/6801559.cms>
- <http://racolblegal.com/right-to-privacy-in-india-role-of-the-media/>
- <https://ijlpp.com/media-ownership-in-india-a-web-of-clashing-interests/>
- <https://www.grin.com/document/591634>
- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=52a59428-9ce1-4fe5-8af9-f10750d37ca4>